

कार्यालय

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

क्रमांक/स्था.अराज/एम.सी./2022/...३३५.....

शहडोल, दिनांक.19/12/2022

// अनापत्ति प्रमाण पत्र //

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल मे कार्यरत् नर्सिंग ऑफिसर से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर म. प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग,मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-एफ /2/57/2018/55-1 दिनांक 30 सितम्बर 2018 में वर्णित बिन्दु-1 से 4 तक के नियम के अंतर्गत आपसी सहमति से पारस्परिक अदला -बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति के लिए आवेदन करने हेतु निम्न शर्त पर अनापत्ति प्रमाण - पत्र निम्नानुसार जारी किया जाता है।

कं.	कर्मचारी का नाम (जाने वाले)	पदस्थापना स्थल (जाने वाले)	कर्मचारी का नाम (आने वाले)	पदस्थापना स्थल (आने वाले)
1	पूजा पटेल	बिरसा मुण्डा शा0चि0महावि0 एवं चि0 शहडोल म.प्र.	खुशबु पटेल	महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर म.प्र.
2	कमलेश	बिरसा मुण्डा शा0चि0महावि0 एवं चि0 शहडोल म.प्र.	फरीदा बानो	महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर म.प्र.
3	लालजी साकेत	बिरसा मुण्डा शा0चि0महावि0 एवं चि0 शहडोल म.प्र.	सरिता महोबिया	श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा म.प्र.
4	चन्दन देवी	बिरसा मुण्डा शा0चि0महावि0 एवं चि0 शहडोल म.प्र.	पार्वती प्रजापति	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया म.प्र.
5	हैप्पी पीटर	बिरसा मुण्डा शा0चि0महावि0 एवं चि0 शहडोल म.प्र.	प्रियंका मिश्रा	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम म.प्र.।
6	विनोद कुशवाहा	बिरसा मुण्डा शा0चि0महावि0 एवं चि0 शहडोल म.प्र.	मीना पटेल	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम म.प्र.।

1. पारस्परिक नियुक्ति के आवेदन समान पद के लिए होना चाहिए और ऐसे आवेदन पत्रों पर संबंधित दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर होना चाहिए।
2. पारस्परिक नियुक्ति के प्रकरणों में निहित दोनों आवेदकों को संबंधित महाविद्यालय में चयन किया जाने की दशा में संबंधित महाविद्यालय ऐसे आवेदकों को नवीन नियुक्ति दे सकेगा।
3. नवीन नियुक्ति दिए जाने की दशा में पूर्व महाविद्यालय में की गई सेवा का वेतन संज्ञान लेते हुए चयनित व्यक्ति का वेतन निर्धारित किया जा सकेगा।
4. उक्तानुसार वरीयता निर्धारण के लिए नवीन नियुक्ति मानी जाएगी और ऐसी नियुक्ति पालन में महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरीयता निर्धारित होगी।
5. उपरोक्त अनापत्ति पत्र दोनों आवेदकों द्वारा अपने अपने नवीन कार्यस्थल पर चयनोपरांत कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में ही पूर्ण प्रभावी मान्य होगा। दोनों आवेदकों में से एक भी आवेदक द्वारा अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त माना जायेगा एवं आवेदकों को अपने मूल नियुक्ति स्थल पर पुनः कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/स्था.अराज/एम.सी./2022/.....

शहडोल, दिनांक...../...../2022

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय,रीवा,दतिया,रतलाम,इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
2. संबंधित की ओर वास्ते 000चसूचनार्थ एवं पालनार्थ।

॥

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

क्रमांक/स्था.अराज/एम.सी./2022/.....

शहडोल, दिनांक...../...../2022

// अनापत्ति प्रमाण पत्र //

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल मे कार्यरत् नर्सिंग ऑफिसर से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर म. प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग,मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-एफ /2/57/2018/55-1 दिनांक 30 सितम्बर 2018 में वर्णित बिन्दु-1 से 4 तक के नियम के अंतर्गत आपसी सहमति से पारस्परिक अदला -बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति के लिए आवेदन करने हेतु निम्न शर्त पर अनापत्ति प्रमाण - पत्र निम्नानुसार जारी किया जाता है।

कं.	कर्मचारी का नाम (जाने वाले)	पदस्थापना स्थल (जाने वाले)	कर्मचारी का नाम (आने वाले)	पदस्थापना स्थल (आने वाले)
1	पूजा पटेल	बिरसा मुण्डा शा0चि0महावि0 एवं चि0 शहडोल म.प्र.	खुशबु पटेल	महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर म.प्र.
2	कमलेश	बिरसा मुण्डा शा0चि0महावि0 एवं चि0 शहडोल म.प्र.	फरीदा बानो	महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर म.प्र.
3	लालजी साकेत	बिरसा मुण्डा शा0चि0महावि0 एवं चि0 शहडोल म.प्र.	सरिता महोबिया	श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा म.प्र.
4	चन्दन देवी	बिरसा मुण्डा शा0चि0महावि0 एवं चि0 शहडोल म.प्र.	पार्वती प्रजापति	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया म.प्र.
5	हैप्पी पीटर	बिरसा मुण्डा शा0चि0महावि0 एवं चि0 शहडोल म.प्र.	प्रियंका मिश्रा	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम म.प्र.।
6	विनोद कुशवाहा	बिरसा मुण्डा शा0चि0महावि0 एवं चि0 शहडोल म.प्र.	मीना पटेल	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम म.प्र.।

1. पारस्परिक नियुक्ति के आवेदन समान पद के लिए होना चाहिए और ऐसे आवेदन पत्रों पर संबंधित दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर होना चाहिए।
2. पारस्परिक नियुक्ति के प्रकरणों में निहित दोनों आवेदकों को संबंधित महाविद्यालय में चयन किया जाने की दशा में संबंधित महाविद्यालय ऐसे आवेदकों को नवीन नियुक्ति दे सकेगा।
3. नवीन नियुक्ति दिए जाने की दशा में पूर्व महाविद्यालय में की गई सेवा का वेतन संज्ञान लेते हुए चयनित व्यक्ति का वेतन निर्धारित किया जा सकेगा।
4. उक्तानुसार वरीयता निर्धारण के लिए नवीन नियुक्ति मानी जाएगी और ऐसी नियुक्ति पालन में महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरीयता निर्धारित होगी।
5. उपरोक्त अनापत्ति पत्र दोनों आवेदकों द्वारा अपने अपने नवीन कार्यस्थल पर चयनोपरांत कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में ही पूर्ण प्रभावी मान्य होगा। दोनों आवेदकों में से एक भी आवेदक द्वारा अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त माना जायेगा एवं आवेदकों को अपने मूल नियुक्ति स्थल पर पुनः कार्यभार ग्रहण करना होगा।

॥

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

पू. क्रमांक/स्था.अराज/एम.सी./2022/335-337

शहडोल, दिनांक 19/12/2022

प्रतिलिपि :- सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा, दतिया, रतलाम, इन्दौर की ओर सूचनाएं ।
2. संबंधित की ओर वास्ते 000 सूचनाएं एवं पालनाएं।

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)